To:
डा० उर्मिल महलावत
हिन्दी मायुर
19.08.2022

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550 (O);

पत्रांक एफ7(4) छात्रसंघचुनाव / अकाद / आकाशि / 2022 / 1694 दिनांक : 18 अगस्त 2022

प्राचार्य
समस्त राजकीय / निजी महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय : महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव 2022 बाबत्।

महोदय / महोदया

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि छात्रसंघ चुनाव 2022 हेतु माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर रिट पिटिशन संख्या 11682 / 2022 में दिनांक 18.08.2022 को पारित निर्णय की अनुपालना में पूर्व में जारी आदेश दिनांक 17.08.2022 के अधिक्रम में जारी निर्देश :-

1. स्नातकोत्तर पूर्वाद्ध की प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ न होने के कारण इस हेतु अभ्यर्थी विद्यार्थी, जो चुनाव में नामांकन प्रस्तुत करना चाहता है, यदि वह संबंधित महाविद्यालय का नियमित विद्यार्थी है, सत्र 2021-22 की परीक्षा में सम्मिलित हुआ है तथा प्रवेश नीति 2022-23 के अनुसार संबंधित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने का पात्र है, उसे चुनाव लड़ने की अनुमति देय होगी।
2. विद्यार्थी को इस हेतु 5000 / रूपये का शुल्क विकास समिति मद के अन्तर्गत महाविद्यालय में जमा करवाना अनिवार्य होगा। उक्त शुल्क दिनांक 19.08.2022 को प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक व दिनांक 20.08.2022 को प्रातः 10.00 बजे से मध्याह्न 12.00 बजे तक जमा करवाया जा सकता है। इसके पश्चात किसी भी परिस्थिति में शुल्क जमा करवाने की अनुमति देय नहीं होगी।
3. उक्त विद्यार्थियों को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में अंतिम मतदाता सूची में सम्मिलित किया जावेगा।
4. स्नातकोत्तर पूर्वाद्ध की प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ होने पर, यदि विद्यार्थी प्रवेश का पात्र रहेगा तो जमा करवाये गए शुल्क को प्रवेश शुल्क व विकास समिति शुल्क के अन्तर्गत समायोजित कर लिया जावेगा अन्यथा जमा करवाया गया शुल्क जब्त कर लिया जावेगा।
5. किसी भी परिस्थिति में शुल्क लौटाया नहीं जावेगा।
6. बिन्दु संख्या 1 से 5 में उल्लिखित कथ्य के संदर्भ में विद्यार्थी से शपथ पत्र (100 रूपये का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर) लेना अनिवार्य होगा।
7. उपर्युक्त के संदर्भ में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर अंतिम निर्णय महाविद्यालय प्राचार्य का होगा।

उक्त निर्देशों की पालना कराने के क्रम में राजकीय अवकाश दिनांक 19.08.2022 को प्रदेश के समस्त महाविद्यालय खुले रहेगें।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. निजी सचिव, मंत्री उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा, शासन सचिवालय जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
4. निजी सचिव आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
5. वैब प्रभारी, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को अपलोड हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

(डा. शैला महान)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

कार्यालय प्राचार्य बी.एन.डी. राजकीय कला महाविद्यालय
चिमनपुरा (शाहपुरा) जयपुर, राजस्थान
E-mail: bndcollege2015@gmail.com

आज़ादी का अमृत महोत्सव

क्रमांक : अकाद / रामचि / छासचु / 2022 /   दिनांक :19.08.2022

आवश्यक सूचना

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 7 (4) छात्रसंघ चुनाव / अकाद / आकाशि / 2022 / 694 दिनांक 18.08.2022 की अनुपालना में महाविद्यालय के सत्र 2021–22 के नियमित विद्यार्थी जो शैक्षणिक सत्र 2022–23 में स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में पात्र हैं, उन्हे माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की रिट पीटिशन 11682 / 2022 दिनांक 18.08.2022 के निर्णय की पालना में छात्रसंघ चुनाव 2022 में प्रत्याशी बनने का अवसर दिया जावेगा। ऐसे इच्छुक विद्यार्थी जो छात्रसंघ चुनाव 2022 में भाग लेना चाहते है। उनको निम्नाकित दस्तावेज कक्ष संख्या 8 में प्रस्तुत करने होगें।

1. राजस्थान विश्वविद्यालय 2021 की बी.ए.पार्ट तृतीय की अंकतालिका।
2. बी.ए.पार्ट तृतीय का परिचय पत्र।
3. परिचय पत्र उपलब्ध नहीं होने पर आधार कार्ड।
4. संलग्न प्रपत्र के अनुसार 100 रू के नान ज्यूडेशियल स्टाम्प पर शपथ–पत्र (नोटरी पब्लिक से प्रमाणित) प्रस्तुत करना होगा।
5. आवेदक को 5000 रू का शुल्क महाविद्यालय विकास समिति में दिनांक 20.8.2022 अपराह्न 12:00 बजे तक जमा करवाने होगें।
6. अन्य शर्ते सन्दर्भित पत्र दिनांक 18.08.2022 के अनुसार होगीं।

संलग्न :– नान ज्यूडेशियल स्टाम्प पर शपथ–पत्र (नोटरी पब्लिक से प्रमाणित) का प्रारूप

प्राचार्य   मुख्य निर्वाचन अधिकारी

शैक्षणिक सत्र 2021–22 में स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा छात्रसंघ चुनाव 2022 में प्रत्याशी बनने के लिए 100 रू के नान ज्यूडेशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ–पत्र का प्रारूप

(नोटरी पब्लिक से प्रमाणित)

मैं .... पुत्र श्री .... (पिता का नाम) एवं .... (माता का नाम) निवासी.. जिला................................... मोबाइल नम्बर.............................. शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि:–

1. मैं शैक्षणिक सत्र 2021–22 में बी.एन.डी. राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा, (शाहपुरा जिला जयपुर) मे बी.ए पार्ट तृतीय का नियमित विद्यार्थी रहा हूँ। मैं महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2022–23 की स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में प्रवेश के लिए प्रकिया प्रारम्भ न होने के कारण प्रवेश नही ले सका। मैं आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी प्रवेश नीति 2022–23 के अनुसार स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की पात्रता रखता हूँ।
2. मैने बी.एन.डी. राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा, (शाहपुरा जिला जयपुर) की विकास समिति में 5000/– रू (पॉच हजार रूपये) की राशि रसीद कमांक .... दिनांक .... के द्वारा जमा करवायें हैं।
3. माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की रिट पीटिशन 11682/2022 दिनांक 18.08.2022 के निर्णय की पालना में बी.एन.डी. राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा, (शाहपुरा जिला जयपुर) के छात्रसंघ चुनाव 2022 के मतदाता सूची में मेरा नाम कमांक .... पर है।
4. महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2022–23 की प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ होने पर प्रवेश का पात्र रहने पर मेरे द्वारा जमा करवाये गये शुल्क को प्रवेश शुल्क व विकास समिति शुल्क के अन्तर्गत समायोजित कर लिया जावेगा। अन्यथा जमा करवाया गया शुल्क जब्त कर लिया जावेगा।
5. किसी भी परिस्थिति में शुल्क लौटाया नही जावेगा।

हस्ताक्षर शपथ गृहीता

सत्यापित

मैं .... पुत्र श्री .... (पिता का नाम) एवं .... (माता का नाम) निवासी.. जिला.... .... मोबाइल नम्बर............................. शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि उपरोक्त शपथ–पत्र के बिन्दु संख्या 1 से 5 में वर्णित तथ्य पूर्णत सही है। ईश्वर साक्षी है।

हस्ताक्षर शपथ गृहीता